**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 5614**

**दिनांक 27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना में परिचालन संबंधी कमियां**

**†5614. कैप्टन बृजेश चौटाः**

**श्री राजीव प्रताप रूडी:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत कम पैकेज दरों के मुद्दों की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल करने से हतोत्साहित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप कतिपय मामलों में उपचार से मना कर दिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आपातकालीन उपचार संहिताओं को बढ़ाने और न्यूरोलॉजी और अनिवार्य रेफरल आवश्यकताओं जैसी विशिष्टताओं को बहाल करने का कोई प्रस्ताव है जो रोगियों की कठिनाई का कारण बन रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन फेल्योर, ओटीपी की समस्याओं, बीपीएल से एपीएल राशन कार्डों में परिवर्तन, कुटुम्ब आईडी से संबंध नहीं जोड़े जाने से लाभार्थी तक पहुंच प्रभावित होने जैसे मुद्दों को हल करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की अपर्याप्त उपलब्धता है और इस योजना के अंतर्गत कैंसर और अन्य महत्वपूर्ण उपचारों के लिए रेफरल से इनकार किए जाने की बात कही गई है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों का निर्बाध उपचार सुनिश्चित करने के लिए पैकेज दरों में संशोधन करने, आपातकालीन कवरेज का विस्तार करने, सत्यापन प्रणालियों को कारगर बनाने और शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (ङ): सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के शुभारंभ के बाद से, स्वास्थ्य लाभ पैकेजों को समय-समय पर संशोधित किया गया है। प्रारंभ में, योजना में

1391 पैकेज शामिल थे, लेकिन नवीनतम स्वास्थ्य लाभ पैकेज 2022 में अब न्यूरोसर्जरी से संबंधित प्रक्रियाओं सहित 27 विशिष्टताओं में 1,961 पैकेज शामिल हैं।

इसके अलावा, नवीनतम स्वास्थ्य लाभ पैकेज 2022 संपूर्ण उपचार चक्र को कवर करने वाले व्यापक पैकेज प्रदान करता है। इसमें 3 दिनों तक के पूर्व-अस्पताल में भर्ती होने के खर्च (जिसमें निदान, पूर्व-दवा और परामर्श शामिल हैं), चिकित्सा, शल्य चिकित्सा उपचार, एनेस्थीसिया और प्रत्यारोपण (जहां लागू हो) सहित संपूर्ण अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, और दवाइयों के खर्च और अनुवर्ती देखभाल सहित 15 दिनों तक की अस्पताल से छुट्टी के बाद की देखभाल शामिल है, जिससे एबी-पीएमजेएवाई के तहत नकदी रहित, मानकीकृत और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित होता है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत रेफरल तंत्र अनिवार्य नहीं है, हालांकि, कुछ राज्य अपने-अपने राज्य-विशिष्ट दिशानिर्देशों के आधार पर रेफरल प्रणाली का पालन करते हैं क्योंकि योजना के तहत राज्यों को कार्यान्वयन में छूट उपलब्ध है।

एबी-पीएमजेएवाई योजना के तहत, आयुष्मान कार्ड बनवाने और उपचार प्राप्त करने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य है। प्रमाणीकरण आधार ओटीपी, चेहरे की पहचान, फिंगरप्रिंट स्कैन और आइरिस स्कैन सहित कई तरीकों से किया जा सकता है। चेहरे की पहचान विफल होने की स्थिति में, ऑपरेटर/लाभार्थी प्रमाणीकरण के किसी अन्य तरीके का उपयोग कर सकते हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के समन्वय से, योजना के तहत निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी की पहचान और सत्यापन से संबंधित परिचालन संबंधी चिंताओं का लगातार समाधान करता है।

इस योजना के तहत, शिकायतों के निवारण में सुविधा के लिए एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस) और 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन (14555) स्थापित की गई है। लाभार्थी सीजीआरएमएस पोर्टल या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। एबी-पीएमजेएवाई के तहत, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से ऐसी शिकायतों की निगरानी की जाती है। प्रत्येक स्तर पर, शिकायतों की जांच और समाधान के लिए नामित नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण समितियां मौजूद हैं।

*****